

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प.4(21)ग्रावि/अनु.8/वीसी/2016


जयपुर, दिनांक : 16.9.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त।

विषय:- दिनांक 17.09.2019 को बैठक स्थगित होने के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक पत्र दिनांक 13.09.2019।


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 17.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे से इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में होने वाली समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। आगामी समीक्षा बैठक हेतु तत्समय अवगत करा दिया जावेगा।



(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव
ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाए एवं स्वयं सहायता समूह।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. जिला कलक्टर, समस्त।
8. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
10. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
11. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/ईजीएस।
12. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी/राजीविका (LP&SHG)/मो. एवं मू।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
14. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
15. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/ईजीएस।
16. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)